भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4286
दिनांक 19 अगस्त, 2025/ 28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पश्चिम बंगाल में एकीकृत जांच चौकियां

†4286. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के कार्य को आगे बढ़ा रही है;

(ख) बांग्लादेश और नेपाल के साथ भारत की सीमाओं पर स्थित फुलबाड़ी, महादीपुर, घोजाडांगा, हिली, चंगराबांधा और पानीटंकी में एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का समय पर निर्माण और संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल में सभी एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) की वर्तमान स्थिति क्या है और भूमि अधिग्रहण का कार्य आरम्भ करने में आने वाली किसी भी मौजूदा बाधा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): सरकार ने पश्चिम बंगाल में 08 एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) को मंजूरी दी है, जिनमें से आईसीपी पेट्रापोल संचालित है। शेष सात (07) आईसीपी नामतः चंगराबांधा, घोजाडांगा, फुलबाड़ी, पानीटंकी, हिली, जयगांव और महादीपुर की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.11.2023 को दी गई मंजूरी के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने इन 07 एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के लिए भूमि की लागत हेतु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को आवश्यक भुगतान कर दिया है। सितंबर, 2024 में आईसीपी जयगांव के लिए और फरवरी, 2025 में आईसीपी चंगराबांधा और पानीटंकी के लिए आवंटित भूमि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई है। शेष 04 (चार) आईसीपी के संबंध में भूमि अधिग्रहण का कार्य विभिन्न चरणों में है।

*****